Vol. 1; Issue 2; January-April 2023; ISSN No. 2583-6994

8 बालिका शिक्षा के संदर्भ में अभिभावकों के दृष्टिकोण का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (उत्तराखण्ड के चम्पावत जिले के चम्पावत तहसील के जूप पटुआ गांव के विशेष संदर्भ में)

डॉ. मनोज कुमार पन्त
वाणिज्य विभाग
श्री राम सिंह धोनी राजकीय महाविद्यालय
जैंती, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड
pantmanoj000@gmail.com

डॉ. कवलजीत कौर
समाजशास्त्र विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चम्पावत, उत्तराखण्ड
kawal289@gmail.com

सारांश

राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास, उसके संरक्षण एवं संवर्द्धन में बालिका–शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षित बालिकाएँ अपने अधिकारों को जान व समझ कर उनका लाभ उठा सकती हैं एवं अपने विविध कर्तव्यों का सम्यक् ढंग से निर्वहन कर सकती हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जिले के तहसील चम्पावत के जूप पटुआ गांव के अभिभावकों का बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना है। इसके लिए उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जिले के चम्पावत तहसील के जूप पटुआ गांव के 124 परिवारों में से 50 प्रतिशत परिवारों का चयन अर्थात् 62 परिवारों का चयन उद्देश्यपूर्वक प्रतिदर्श द्वारा किया गया। अध्ययन द्वारा ज्ञात होता है कि चम्पावल तहसील के जूप पटुआ गांव के सभी अभिभावक बालिका शिक्षा के पक्ष में है। अधिकतर अभिभावक बालिकाओं को उच्च शिक्षा देने के पक्ष में है अधिकतर अभिभावकों की बालिकाऐं प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करती है इस कारण वे अपनी बालिकाओं को विज्ञान संकाय में शिक्षा देने के पक्ष में है ताकि वे भविष्य में उच्च पदों पर नौकरी कर सके। अधिकांश अभिभावक अपनी बालिकाओं को नियमित रूप से विद्यालय भेजते है जिससे के लिए वे अपने पारिवारिक साधनों का प्रयोग करते है क्योंकि अधिकांश विद्यालय उनके घर से 2 किमी से 5 किमी की दूरी पर है। यहाँ के अभिभावक अपनी बालिकाओं की शिक्षा को लेकर काफी जागरूक है।

मुख्य शब्द– बालिका शिक्षा का इतिहास, नई शिक्षा नीति 2020 एवं बालिका शिक्षा, उत्तराखण्ड सरकार की योजनाऐं।

प्रस्तावना

देश का विकास उसके सुशिक्षित नागरिकों पर निर्भर करता है और नागरिकों का विकास परिवार पर निर्भर करता है एवं परिवार का विकास उसमे निवास करने वाली बालिकाओं पर निर्भर करता है। अतः राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास, उसके संरक्षण एवं संवर्द्धन में बालिका–शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डॉ. राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में गठित आयोग ने बालिका–शिक्षा के महत्व और आवश्यकता पर पर्याप्त बल दिया है। उनके अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे अच्छी माता और अच्छी गृहणी बन सके। बालिका विकास का सर्वाधिक सरल, प्रभावी व सहज तरीका उनकी शिक्षा में सुधार लाना है। शिक्षित बालिकाएँ अपने अधिकारों को जान व समझ कर उनका लाभ उठा सकती हैं एवं अपने विविध कर्तव्यों का सम्यक् ढंग से निर्वहन कर सकती हैं। बालिका विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष (1975), सार्क बालिका वर्ष (1990) तथा सार्क बालिका दशक (1991–2000) जैसे आयोजन किये गये हैं, जो उनके विकास के प्रति विश्व व्यापी जागृति के सूचक हैं।

शिक्षा बालिका विकास के सभी आयामों, यथा– पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक मजबूती का आधार है, जिसके द्वारा उन्हें क्रियाशील, विवेकशील तथा प्रभावशील बनाना सम्भव हो सकता है। उनके विकास में उच्च शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान करती है। बालिकायें जिन्हें आधी आबादी भी कहा जाता है, यदि उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है तो समग्र राष्ट्रीय विकास की कल्पना करना भी बेमानी हो जाता है। बालिकायें ही कालान्तर में महिलाओं की भूमिका निभाती है। इनकी भी राष्ट्रीय उत्थान में साझेदारी अदा करने की आकांक्षा होती है। अगर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की सशक्त उल्लेखनीय भागीदारी के स्वप्न को साकार बनाना है तो बालिका उच्च शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना ही होगा। नायला कबीर बालिका शिक्षा को सशक्तीकरण से जोड़ते हुए कहती हैं कि यदि कोई महिला शिक्षा प्राप्त कर स्वविकास के साथ आने वाली पीढ़ी विशेषतः बेटियों को शिक्षित एवं सक्षम बनाने के लिए प्रयास करती है तो वह महिला सशक्त मानी जायेगी।

भारत में बालिका शिक्षा का इतिहास

300 से अधिक वर्षो पहले भारत में लड़कियों के लिए व्यावहारिक रूप से कोई शिक्षा नहीं थी। केवल कुछ उच्च जातियों और उच्च वर्गों की लड़कियों को घर पर शिक्षा दी जाती थी। लड़कियों की साक्षरता उस समय एक अपमान के रूप में देखी जाती थी। बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने की सोच माता–पिता के मन में कभी नहीं आयी, क्योंकि उस समय अंधविश्वास व्याप्त था कि जिन हिन्दू परिवारों में लड़की को पढ़ना लिखना सीखाया जाता है उनमें से अधिकांश शादी के बाद विधवा हो जाती थी। महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति (1959)

की रिपोर्ट के अनुसार, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लड़कियों की शिक्षा की स्थिति सबसे असन्तोषजनक थी और लड़कियों को व्यावहारिक रूप से कोई औपचारिक निर्देश नही मिला, सिवाय छोटे घरेलू निर्देश जो उच्च वर्ग के परिवारों की बेटी के लिए उपलब्ध था।

ब्रिटिश काल में 1821 में दक्षिण भारत के तिरूनेलवेली में ऑल गर्ल्स बोडिंग स्कूल स्थापित किया गया। अमेरिकन मिशन ने मुंबई में 1824 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। 1829 तक 5 साल के भीतर उस स्कूल में 400 लड़कियों का नामांकन हुआ। वर्ष 1848 में पुणे में गर्ल्स स्कूल की शुरूआत ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने पश्चिमी बंगाल में की। 1850 तक मद्रास मिशनरियों ने स्कूल में लगभग 8000 से अधिक लड़कियों का नामांकन कराया था। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1958 में भारत सरकार ने महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसकी सिफारिशे स्वीकार कर ली गई। इन सिफारिशों का सार यह था कि महिला शिक्षा को भी पुरूष शिक्षा के बराबर पहुँचाया जाए। वर्ष 1964 में स्थापित शिक्षा आयोग ने बड़े पैमाने पर महिला शिक्षा के विषय में बात की और वर्ष 1968 में भारत सरकार से एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने की सिफारिश की।

इन सभी प्रयासों के कारण आज देश में लड़कियों के लिए अनेक विद्यालय एवं महाविद्यालय खोले गए। सरकार द्वारा इस ओर विशेष प्रयास किए जा रहे है, जिससे महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है तथा महिलाऐं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है।

नई शिक्षा नीति 2020 एवं बालिका शिक्षा

जुलाई 2020 में केंद्रीय सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जो 34 साल बाद बदली गई। बदलते वैश्विक परिवेश में ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक था। इस शिक्षा नीति के द्वारा 2030 तक सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

एक सभ्य समाज का निर्माण उस देश के शिक्षित नागरिकों द्वारा होता है और महिला इस कड़ी का अहम हिस्सा है। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक स्त्री का मूल अधिकार है जो देश की प्रगति, उन्नति एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुकी है। शुरूआत से ही बच्चों के साथ जेंडर आधारित शिक्षा देने की एक पहल की जा रही है। श्रब्त्ज् के तत्वावधान में पोजिशन पेपर में जेंडर शिक्षा को तैयार करने में ICRW की बहुत ही अहम् भूमिका रही है। स्कूली शिक्षा में जेंडर का बहुत महत्व है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पहनावा सभी क्षेत्र में जेंडर संतुलित नज़रिए एवं सोच को लाने की आवश्यकता है। किशोरियों की शिक्षा के लिए समय–समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं, योजनाए बनाई गई और सफल भी हुई है। उसके बावजूद भी महिलाएं जो हमारी कुल जनसंख्या का आधा हिस्सा

मानी जाती है वह अभी भी अशिक्षित है। नई शिक्षा नीति 2020 किशोरियों की शिक्षा एवं जेंडर शिक्षा को बढ़ावा देती है। इसमें उन समस्याओं और बाधाओं की तरफ ध्यान दिया गया है, जो किशोरियों की शिक्षा के रास्ते में बाधा बनती हैं। अनेक स्तर पर इसमे किशोरियों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। शिक्षा की शुरुआत विद्यालय स्तर से होती है, अतः इस नीति में दो चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है विद्यालयों में किशोरियों की सुरक्षा तथा ऐसे प्रावधान और योजनाएं जो छात्राओं को विद्यालय से जोड़े रखते हैं, उन्हें अवसर देते हैं।

उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई योजनाऐं

1. फ्री लैपटॉप एवं फ्री साइकिल योजना– इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र/छात्रों को फ्री लैपटॉप एवं फ्री साइकिल प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा छात्र/छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षाओं में पास होने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारम्भ किया गया है।
2. गौरी देवी कन्या धन योजना– सरकार द्वारा गौरा देवी कन्या धन योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग की बालिका के लिए संचालित की जा रही है। इस योजना का लाभ बालिका को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं कक्षा पास करने के बाद दिया जाएगा।
3. स्कूल चलो अभियान– 1 जुलाई 2001 से संचालित इस अभियान का मुख्य लक्ष्य 6–14 वर्ष के बच्चें का शत–प्रतिशत नामांकन, बच्चों का विद्यालय में शत–प्रतिशत ठहराव, बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा पर विशेष बल, जन समुदाय की भागीदारी तथा 2010 तक 1–8 तक की शिक्षा का सार्वजनीकरण करना था।
4. विशेष छात्रवृत्ति योजना– पूर्व सैनिकों के बच्चें के लिए शुरू की गई यह योजना हाईस्कूल तथा इंटर में 80 प्रतिशत अंक पाने वाले बच्चों को क्रमशः 12,000 व 15,000 रूपये की वार्षिक छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। स्नातक के लिए यह राशि 18,000 होगी।
5. तेजस्वी छात्रवृत्ति योजना– गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए यह योजना चलाई जा रही है। कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 1000 रूपये व 10 में प्रवेश करने पर 2000 रूपये की राशि दी जाएगी।
6. शिक्षा आचार्य योजना– राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी बच्चें को आधारभूत शिक्षा प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत कक्षा 1–8 तक के बच्चें को निःशुल्क पुस्तकें दी जाती है।
7. आदर्श स्कूल– प्रत्येक जिले में एक इंटर कॉलेज व प्रत्येक ब्लॉक में एक जूनियर हाई स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

8. देवभूमि मुस्कान योजना– 2009 में शुरू की गई यह योजना समाज के वंचित वर्ग के छात्रों का उत्कृष्ट निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई है।
9. कस्तूरबा गांधी आवास विकास विद्यालय योजना– शिक्षा में पिछड़े हुए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य के 12 जिलों में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना की गयी।
10. मिड डे मील योजना– इस योजना के अन्तर्गत सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता से चल रहे स्कूलों में 1 से 8 तक के बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क दोपहर का खाना दिया जाता है।
11. ई क्लास योजना– इसके अन्तर्गत राज्य में कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों को विज्ञान एवं गणित की पढ़ाई मल्टीमीडिया सीडी द्वारा दी जाने की व्यवस्था है।
12. शिक्षा बंधु (मित्र) योजना– ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने तथा शिक्षितों को रोजगार देने के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा प्राथमिक स्कूलों में मानदेय वेतन पर शिक्षा मित्र नियुक्त करने संबंधी योजना चलाई जा रही है।
13. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय– राजीरव गांधी नवोदय विद्यालय की तरह यह विद्यालय भी पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित और उसी तरह निःशुल्क आवासीय है। वर्तमान में राज्य के 5 जिलों में ऐसे विद्यालय है।
14. आरोही परियोजना– यह परियोजना अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षण देने के लिए मई 2002 में शुरू की गई।

अध्ययन का उद्देश्य– प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जिले के तहसील चम्पावत के जूप पटुआ गांव के अभिभावकों का बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना है।

अध्ययन क्षेत्र– चम्पावत तहसील उत्तराखंड राज्य के चम्पावत जनपद की एक तहसील है। इसके पूर्व में नेपाल, पश्चिम में पाटी तहसील, उत्तर में लोहाघाट तहसील तथा दक्षिण में श्री पूर्णागिरी तहसील है। इस तहसील में 186 गांव आते है। इसमें एक गांव जूप पटुआ है जिसमें कुल 124 परिवार रहते है। 2011 की जनगणना के अनुसार जूप पटुआ गांव की जनसंख्या 511 है जिसमें 259 पुरूष तथा 252 महिलाऐं है। यह गांव 21.21 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यह गांव चोरा सेठी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आता है।

प्रतिदर्श– प्रस्तुत अध्ययन के लिए उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जिले के चम्पावत तहसील के जूप पटुआ गांव के 124 परिवारों में से 50 प्रतिशत परिवारों का चयन अर्थात् 62 परिवारों का चयन उद्देश्यपूर्वक प्रतिदर्श द्वारा किया गया। चयनित प्रतिदर्श को निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया–

तालिका संख्या – 1

	प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
आयु वर्ग	30 वर्ष से कम	18	29.03
	30 – 35 वर्ष	25	40.32
	35 – 40 वर्ष	19	30.65
	40 वर्ष से अधिक	00	00
	योग	**62**	**100**
शिक्षा	आठवीं से कम	10	16.13
	हाईस्कूल	19	30.65
	इण्टर	26	41.93
	स्नातक	05	8.06
	स्नातकोत्तर	02	3.23
	योग	**62**	**100**
लिंग	महिला	31	50.00
	पुरूष	31	50.00
	योग	**62**	**100**
वैवाहिक स्थिति	विवाहित	56	90.32
	विधवा/विधुर	06	9.68
	तलाकशुदा	00	00
	योग	**62**	**100**
परिवार में बच्चों की संख्या	नहीं हैं	00	00
	1	07	11.29
	2	38	61.29
	3	15	24.19
	3 से अधिक	02	3.23
	योग	**62**	**100**
औसत मासिक आय	10000 से कम	11	17.74
	10000 से 30000	31	50.00
	30000 से 50000	18	29.03
	50000 से अधिक	02	3.23
	योग	**62**	**100**

तालिका संख्या 1 द्वारा ज्ञात होता है कि 29.03 प्रतिशत उत्तरदाता 30 वर्ष से कम आयु की है। 40.32 प्रतिशत उत्तरदाता 30 से 35 वर्ष की है। 30.65 प्रतिशत महिलाऐं 35 से 40 वर्ष की है। उत्तरदाताओं में 16.13 प्रतिशत ने आठवीं कक्षा से कम शिक्षा प्राप्त की है। 30.

65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाईस्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की है। 41.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इण्टर तक की शिक्षा प्राप्त की है। 8.06 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्नातक तथा केवल 3.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त की है।

चुने गए उत्तरदाताओं में से 50 प्रतिशत महिलाऐं है तथा 50 प्रतिशत पुरूष है। 90.32 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित है जबकि 9.68 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा/विधुर है। चयनित उत्तरदाताओं में 11.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं के केवल एक सन्तान है। 61.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं के दो सन्तान है। 24.19 प्रतिशत उत्तरदाताओं के तीन सन्तान है जबकि 3.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं के तीन से अधिक सन्तान है। चयनित उत्तरदाताओं में से 17.74 प्रतिशत उत्तरदाताओं की औसत मासिक आय 10000 से कम है। 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं की औसत मासिक आय 10000 से 30000 के मध्य है। 29.03 प्रतिशत उत्तरदाताओं की औसत मासिक आय 30000 से 50000 के मध्य है जबकि 3.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं की औसत मासिक आय 50000 से अधिक है।

प्राप्त आंकड़े

तालिका संख्या – 2

बालिका के शिक्षा ग्रहण करने के संदर्भ में अभिभावकों की प्रतिक्रिया

प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
हाँ	62	100
नहीं	00	00
कह नहीं सकते	00	00
योग	**62**	**100**

तालिका संख्या 2 द्वारा ज्ञात होता है कि 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।

तालिका संख्या – 3

बालिका द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के स्तर के संदर्भ में अभिभावकों की प्रतिक्रिया

प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
बिल्कुल नहीं	00	00
कक्षा 8 से कम	00	00
हाईस्कूल से कम	00	00
हाईस्कूल	02	3.23
इण्टर	04	6.45
स्नातक	12	19.35
स्नातकोत्तर	23	37.09
जितना पढ़ना चाहे	21	33.88
योग	**62**	**100**

तालिका संख्या 3 द्वारा ज्ञात होता है कि 3.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बालिकाओं को हाईस्कूल तक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। 6.45 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बालिकाओं को इण्टर तक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। 19.35 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बालिकाओं को स्नातक तक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। 37.09 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बालिकाओं को स्नातकोत्तर तक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जबकि 33.88 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बालिकाऐं जितना पढ़ना चाहे उन्हें पढ़ने देना चाहिए।

तालिका संख्या – 4

बालिका द्वारा शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यालय के प्रकार के संदर्भ में अभिभावकों की प्रतिक्रिया

प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
आंगनबाड़ी	03	4.84
सरकारी	23	37.10
अर्द्धसरकारी	00	00
प्राइवेट	36	58.06
योग	**62**	**100**

तालिका संख्या 4 द्वारा ज्ञात होता है कि 4.84 प्रतिशत उत्तरदाताओं की बालिकाऐं आंगनबाड़ी में शिक्षा ग्रहण कर रही है। 37.10 प्रतिशत उत्तरदाताओं की बालिकाऐं सरकारी विद्यालयों में तथा 58.06 प्रतिशत उत्तरदाताओं की बालिकाऐं प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रही है।

तालिका संख्या – 5

बालिका के शिक्षा प्राप्त करने वाले विषय संकाय के संदर्भ में अभिभावकों की प्रतिक्रिया

प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
कला	21	33.87
विज्ञान	33	53.23
वाणिज्य	08	12.90
योग	**62**	**100**

तालिका संख्या 5 द्वारा ज्ञात होता है कि 33.87 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी बालिकाओं को कला संकाय में शिक्षा ग्रहण करवाने के पक्ष में है। 53.23 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी बालिकाओं को विज्ञान संकाय में शिक्षा ग्रहण करवाने के पक्ष में है, जबकि 12.90 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी बालिकाओं को वाणिज्य संकाय में शिक्षा ग्रहण करवाने के पक्ष में है।

तालिका संख्या – 6

बालिका की विद्यालय में नियमित उपस्थिति के संदर्भ में अभिभावकों की प्रतिक्रिया

प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
हाँ	39	62.90
नहीं	04	6.45
कभी–कभी	19	30.65
योग	**62**	**100**

तालिका संख्या 6 द्वारा ज्ञात होता है कि 62.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं की बालिकाऐं नियमित रूप से विद्यालय जाती है। 6.45 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी बालिका को विद्यालय नियमित रूप से नहीं भेजते है, जबकि 30.65 प्रतिशत उत्तरदाताओं की बालिकाऐं कभी–कभी विद्यालय नहीं जाती है।

तालिका संख्या – 7

बालिका के घर से विद्यालय जाने के माध्यम के संदर्भ में अभिभावकों की प्रतिक्रिया

प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
पैदल	05	8.06
पारिवारिक वाहन	41	66.13
विद्यालय द्वारा वाहन सुविधा	16	25.81
योग	**62**	**100**

तालिका संख्या 7 द्वारा ज्ञात होता है कि 8.06 प्रतिशत उत्तरदाताओं की बालिकाऐं पैदल विद्यालय जाती है। 66.13 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी बालिका को विद्यालय पारिवारिक वाहन द्वारा लेकर जाते है, जबकि 25.81 प्रतिशत उत्तरदाताओं की बालिकाऐं विद्यालय की वाहन सुविधा द्वारा विद्यालय जाती है।

तालिका संख्या – 8

बालिका के घर से विद्यालय की दूरी के संदर्भ में अभिभावकों की प्रतिक्रिया

प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
2 किमी से कम	08	12.90
2 किमी – 5 किमी	54	87.10
5 किमी से अधिक	00	00
योग	**62**	**100**

तालिका संख्या 8 द्वारा ज्ञात होता है कि 12.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं की बालिकाओं के विद्यालय घर से 2 किमी से दूरी पर स्थित है, जबकि 87.10 प्रतिशत उत्तरदाताओं की बालिकाओं के विद्यालय घर से 2 किमी से 5 किमी तक की दूरी में स्थित है।

तालिका संख्या – 9

बालिका के नौकरी करने के संदर्भ में अभिभावकों की प्रतिक्रिया

प्रत्युत्तर	संख्या	प्रतिशत
हाँ	47	75.81
नहीं	02	3.22
कभी–कभी	13	20.97
योग	**62**	**100**

तालिका संख्या 9 द्वारा ज्ञात होता है कि 75.81 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी बालिकाओं को भविष्य में नौकरी करवाने के पक्ष में है। 3.22 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी बालिकाओं को भविष्य में नौकरी करवाने के पक्ष में नहीं है, जबकि 20.97 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि यदि आवश्यक हो तो वह नौकरी कर सकती है।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन द्वारा ज्ञात होता है कि चम्पावल तहसील के जूप पटुआ गांव के सभी अभिभावक बालिका शिक्षा के पक्ष में है। अधिकतर अभिभावक बालिकाओं को उच्च शिक्षा देने के पक्ष में है परन्तु इनका मानना है कि विवाह भी आवश्यक है अतः पहले बालिका का विवाह हो जाए बाद में वह अपनी शिक्षा पूरी करती रहे। अधिकतर अभिभावकों की बालिकाऐं प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करती है इस कारण वे अपनी बालिकाओं को विज्ञान संकाय में शिक्षा देने के पक्ष में है ताकि वे भविष्य में उच्च पदों पर नौकरी कर सके। अधिकांश अभिभावक अपनी बालिकाओं को नियमित रूप से विद्यालय भेजते है जिससे के लिए वे अपने पारिवारिक साधनों का प्रयोग करते है क्योंकि अधिकांश विद्यालय उनके घर से 2 किमी से 5 किमी की दूरी पर है। यहाँ के अभिभावक अपनी बालिकाओं की शिक्षा को लेकर काफी जागरूक है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. साहू, संजुक्ता, 2016, 'गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया : स्टेटृस एण्ड चैलेंज', इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इकॉनोमिक्स एण्ड सोशल सांइस, वोल्यूम 6, इशू 7, पृष्ठ 130–141
2. सिंह संतोष कुमार, 2016, 'बालिका शिक्षा', इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव सोशल सांइस एण्ड हूमनिटी रिसर्च, वोल्यूम 3, नम्बर 4, पृष्ठ 32–35
3. गुप्ता, एस.पी. एवं अलका गुप्ता, 2009, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृष्ठ 710–711
4. कुमार सुनील, 2018, 'बालिका शिक्षा, विकास एवं अभिवृत्ति परिवर्तनः हरदोई जनपद के अभिभावाकों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन', शोध मंथन, वोल्यूम 9, इशू 4, पृष्ठ 230–237

5. मिश्रा लक्ष्मी एवं आर्य मोहन लाल, 2020, 'बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन', शिक्षाधन संतोषधन : जर्नल आफॅ आर्ट्स, हूमनिटिस एण्ड सोशल सांइस, वोल्यूम 3, इशू 1, पृष्ठ 121–127

6. जोशी कंचन एवं शर्मा नीता बोरा, 2021, 'भारत में बालिका शिक्षा का महत्व', जर्नल ऑफ आचार्या नरेन्द्र देव रिसर्च इन्सीट्टूट, वोल्यूम 29, पृष्ठ 98–101